C/A-9
29/4/13

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No. of 2013

Meena Kumari. ... PETITIONER

Versus.

The State of Bihar through the Secretary H.R.D Department, Patna & others. ... RESPONDENTS.

Subject :- School (Service selection panchayat teacher)

Index

Sl. Nos.	Particulars.	Page Nos.
1.	**Synopsis of the case** ...	i - iii
2.	An application under Article 226 of the Constitution of India.	1-13
3.	Annexure-1, A copy of receiving dt 17/11/08 vide receipt no. Pq- 664. ...	14
4.	Annexure-2, A copy of Panchayat level allocation chart. ...	15
5.	Annexure-3, A copy of objection filed by the petitioner before the selection committee with regard to provisional merit list on 31.12.2008. ...	16
6.	Annexure-4, A copy of an application dt 28/3/2009. ...	17
7.	Annexure-5 & 5/1, Series A copy of application given by the petitioner to the respondent no. 4. ...	18-19
8.	Annexure-6 Series, A copy of proceeding dated 14/8/2010...	20-21
9.	Annexure-7, A copy of cast certificate issued by the B.D.O...	22
10.	Annexure-8, A copy of order dated 21.12.2012. ...	
11.	Vakalatnama.	23-29

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No. of 2013

Meena Kumar. ... PETITIONER

Versus.

The State of Bihar through the Secretary H.R.D Department, Patna & others. ... RESPONDENTS.

Synopsis of the Case

The present writ application is being filed on behalf of the petitioner above named praying inter alia the following reliefs as Para-1 as:-

i). For quashing the order dated 21/12/2012 passed by the respondent no. 2 (District Teacher Employment Appellant Tribunal) in case no. 936/2012 by which he refused the prayer of petitioner for appointment on the post of Panchayat teacher at Gram Panchayat Raj Sunder Birajit of Madhepur block under Madhubani district.

ii). For issuance of direction to the respondents to appoint the petitioner on the post of Panchayat teacher at the

concern Panchayat where post is still now vacate for the extremely backward caste to the female.

iii). For issuance of direction to the respondents authorities to give all consequential benefits to the petitioner from very initial date on which she ought to have been appointed.

Relevant dates and Facts:-

26/3/2007

Annexure-7- A copy of the caste certificate issued by the competent authority on 26.03.2007 on behalf of the petitioner.

17/11/2008

Annexure-1- A copy of receipt dated 17/11/2008 bearing no. Pq- 664 was given to the petitioner after receiving his form.

Annexure-2- A copy of Panchayat level allocation chart provided by the Govt for appointment of Panchayat teacher in 2008 of the concern Panchayat.

31/12/2008

Annexure-3- A copy of objection filed by the petitioner before the selection committee with regard to provisional merit list.

28/3/2009

Annexure-4- A copy of an application dated 28/3/2009 filed by the petitioner before the respondent no. 2 with regard to appointment.

14/8/2010

Annexure-6- A copy of proceeding dated 14/8/2010 by the selection committee with regard to appointment of the Panchayat teacher in 2008 of the concern Panchayat.

28/6/2012

Annexure-5- A copy of representation dated 28/6/2012 given to the respondent no. 4 with regard to her appointment of the Panchayat teacher in 2008.

21/12/2012

Annexure-8- A copy of the impugned order passed by the respondent no. 2 on 21/12/2012 in case no. 936/08/2012.

Hence, this writ application.

355

GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION EXCISE & PROHIBITION DEPT.
PATNA SCORE PATNA
COURT FEE 26/4
Authorization No. 2673
भारत INDIA
STAMP DUTY
00000
Rs.≈0000355≈ 26.4.2013
375455
Zero*Zero*Zero*Zero*ThreeFive*Five*
बिहार
JUDICIAL
BIHAR
3818 7533200

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No. of 2013

In the matter of an application under Article 226 of the Constitution of India.

and

In the matter of :-

Meena Kumari wife of Nirbhay Roy,
Resident of Village Dhamoura, P.S Babubarahi,
District Madhubani, Bihar ... PETITIONER

Versus.

1. The State of Bihar through the Secretary Human Resource Department, Patna.
2. The District Teacher Employment Appellate Tribunal, Madhubani,
3. The Director, Primary Education, Human Resource Development Department, Patna.
4. The District Magistrate, Madhubani.
5. The District Superintendent of Education, Madhubani.
6. The Block Development Officer, Madhepur.
7. The Block Education Extensive Officer, Madhepur.

8. The Mukhiya Gram Panchayat Raj Sunder Birajit, Madhepur, Madhubani.
9. The Panchayat Secretary, Gram Panchayat Raj Sunder Birajit, Madhepur, Madhubani. ... RESPONDENTS.

To,

The Hon'ble Ms. Justice Rekha M. Doshit, Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and her companion Hon'ble Justices of the said Hon'ble Court.

The humble petition on behalf of the petitioner named above;

Most Respectfully Sheweth:-

1. That this an application for issuance of writ in the nature of certiorari or any other writ/writs, order/orders, commanding the respondents for the following relief/relief's:-

i). For quashing the order dated 21/12/2012 passed by the respondent no. 2 (District Teacher Employment Appellant Tribunal) in case no. 936/2012 by which he refused the prayer of petitioner for appointment on the post of Panchayat teacher at Gram

Panchayat Raj Sunder Birajit of Madhepur block under Madhubani district.

ii). For issuance of direction to the respondents to appoint the petitioner on the post of Panchayat teacher at the concern Panchayat where post is still now vacate for the extremely backward caste to the female.

iii). For issuance of direction to the respondents authorities to give all consequential benefits to the petitioner from very initial date on which she ought to have been appointed.

2. That the following question of law involved in this writ petition for kind consideration and adjudication before the Hon'ble Court as :-

i). Whether the petitioner ought to have been appointed on the post of Panchayat teacher in the concern Panchayat, in 2008 to 2010 where post is still now kept vacate under the categories of extremely backward class for female or not?

ii). Whether the selection committee of the concern Panchayat could be considered the

application of the petitioner at the time of selection for the post of Panchayat teacher in year of 2008 to 2010, which is still now vacate for the extremely back-ward caste of the female, or not?

iii). Whether the selection committee of the concern Panchayat should have modified the provisional merit list, after receiving the objection petition filed by the petitioner within stipulated period or not?

iv). Whether the petitioner has not been appointed by the concern selection committee within stipulated period with respect to the vacate seat which is provided by the Govt for the petitioners categories, may be amounting as the violation of the rule Panchayat Teacher Appointment Act 2008 or not?

v). Whether the petitioner is not being appointed by the authorities concern on the concern Panchayat, may be treated as the

infringement of the constitutional right of the petitioner or not?

vi) Whether the finding of the respondent no. 2 in (District Teacher Employment Tribunal) the impugned order should be based, after proper considering of the each and every document produced at the time of hearing or not?

viii). Whether the respondent no. 2, 3, 4, 5, 6 & 7 are the competent authorities to pass reasoned order after receiving the complain of the petitioner with regard to appointment of the Panchayat teacher of the concern Panchayat or not?

3. That the brief facts of the case is that the petitioner initially applied for the post of Panchayat teacher annexing the all required documents at the Panchayat of Sundar Birajit in Madhepur block under Madhubani district in 2008 and the receipt of same has been obtained vide receipt no. Pq- 664 dated 17/11/2008.

A copy of receiving dated 17/11/2008 vide receipt no. Pq- 664 is annexed herewith and marked as Annexure-1, to this application.

4. That it is relevant to demonstrate here that as per allocation of the Govt chart, the post of Panchayat teacher in the concern Panchayat in 2008 is 6, out of them one is reserved for the extremely back-ward caste (Female) in general subject.

A copy of Panchayat level allocation chart provided by the Govt with regard to appointment of the Panchayat teacher in 2008 at the concern Panchayat is annexed herewith and marked as Annexure-2, to this application.

5. That on 30.12.2008 provisional merit list of the concern Panchayat has been published by the

authority concern, in which petitioner's name was not mentioned.

6. That after issuing such tented provisional merit list, petitioner filed objection before the selection committee on next date i.e. 31.12.2008 mentioning the fact that her name would be also added in the provisional merit list, uponwhich the committee concern orally consoled her to add your name in merit list, but that could not be done nor published final merit list publically.

A copy of the objection filed by the petitioner before the selection committee with regard to provisional merit list on 31.12.2008 is annexed herewith and marked as annexure-3, to this application.

7. That when the selection committee could not considered the petition of the petitioner than she also gave an application to the concern District Teacher Appointment Authority on 28.03.2009

and the same was also given to the other authorities concern but all attempts are in vain.

A copy of an application dated 28.03.2009 filed by the petitioner before the respondent no. 2 is annexed herewith and marked as Annexure-4, to this application.

8. That it is needful to mention here that when petitioner has no other alternative option, than she gave an application in Janta Darwar of the concern District Magistrate Madhubani with regard to aforesaid fact, which is registered as registration no. 1766 dated 28.6.2012 and same was sent to the respondent no. 2 for the appropriate action vide letter no. 1821 dated 3.7.2012.

A copy of an application given by the petitioner to the respondent no. 4 is annexed herewith and

marked as Annexure-5 & 5/1 series to this application.

9. That on 14.08.2010 the concern selection committee formally completed the quorum of the selection process of 2008, showing to remain the post which comes under the purview of the petitioner's category explaining the facts that due to non appearance of the candidate post is vacate, which is highly unbelievable.

A copy of proceeding completed by the selection committee on 14.08.2010 with regard to Panchayat Teacher Appointment 2008 is annexed herewith and marked as Annexure-6, series to this application.

10. That the petitioner has possessed require qualification as per requirement of the Govt notification and she is also graduate honours with Ist Class.

11. That the petitioner comes under the purview of extremely back-ward caste and her caste certificate has been issued by the competent authorities.

A copy of caste certificate of the petitioner issued by the concern B.D.O on 26.03.2007 is annexed herewith and marked as Annexure-7, to this application.

12. That from the perusal of aforesaid facts and circumstances it appears that the selection committe of the concern Panchayat could not considered the application of the petitioner and curtailed the constitutional right of the petitioner only for his illegal gain and malpractices and kept the relevant post still vacate.

13. That the respondent no. 2 refused the prayer of petitioner vide order dated 21.12.2012 passed in case no. 936/08/12 without proper considering the documents.

A copy of order dated 21.12.2012 passed by the respondent no. 2, is annexed herewith and marked as Annexure-8, to this application.

14. That the respondent no. 2 (District Teacher Employment Tribunal) ought to have considered these aforesaid facts at the time of passing the impugned order dated 21.12.2012.

15. That the impugned order by the respondent no. 2 is completely based on conjuncture and surmises and fit to be set aside.

16. That the impugned order should have been based upon the sound principle of law, not as mechanical.

17. That the respondent no. 2 has erred in law as well as on facts while passing the impugned order dated 21.12.2012 and it is fit to be quashed.

18. That the petitioner is a citizen of India and residing well within the jurisdiction of this Hon'ble Court to invoke its writ jurisdiction.

19. That the petitioner has not moved before this Hon'ble Court earlier in the instant case.

It is therefore, prayed that your lordships may graciously be pleased to issued Rule NISI, calling upon the respondents and after returning the rule hearing the parties your lordship may be pleased to make the rule absolute in favour of the petitioner by granting the relief's as prayed in Para-1, of this writ petition.

And/Or

Pass such other order/orders, as your lordships may deem fit and proper in the facts and circumstance of the case.

And for this the petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT

I. Meena Kumari wife of Nirbhay Roy age about 24 years. resident of village Dhamoura, P.S. Babubarahi, District Madhubani do hereby solemnly affirm and say as follows:-

1. That I am petitioner and as such am well acquainted with the facts and circumstances of the case.
2. That the statements made in paragraph nos. ~~1 to 19~~ 5, 10 to 18 are true to my knowledge and those statements made in paragraph nos. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11 & 13 are information derived from the records of this case and rest are by way of submissions to this Hon'ble Court, which I believe to be true.
3. That the annexure/s is/are true type/photo copies of its/their respective originals.

मीना कुमारी

Anil

14

Ann (1)

4

प्राप्ति रसीद

श्री/सुश्री/श्रीमती ....अनीता कुमारी.......... से नगर शिक्षक/प्रखंड शिक्षक/पंचायत शिक्षक पद पर नियोजन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किया गया, जिसकी प्राप्ति संख्या .... है।

दिनांक :- Pa-664
17/11/08

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर, पूरा नाम एवं पदनाम
(मुहर के साथ)

प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति द्वितीय चरण 2008
मधुबनी जिला अन्तर्गत पंचायतवार रिक्ति विवरणी
PRIMARY SCHOOL

Code	Recruitment Unit	Vacancy	Reservation Category											Roster Point		Vacancy Count	
			UR	UR (F)	EBC	EBC (F)	SC	SC (F)	BC	BC (F)	ST	ST (F)	R (F)	From	To	From	To
17	**MADHEPUR**																
324	Barsam	12	3	3	1	1	1	1	1	1	0	0	0	55	66	6355	6366
321	Mahasingh Hasauli	11	3	3	1	1	1	1	0	1	0	0	0	67	77	6367	6377
328	Dwalakh	9	2	2	0	1	1	1	1	0	0	0	1	78	86	6378	6386
307	Matras	9	3	2	1	1	0	1	0	1	0	0	0	87	95	6387	6395
308	Tanliha	9	2	2	1	1	1	1	1	0	0	0	0	96	4	6396	6404
331	Haripatti	8	2	2	1	0	1	0	1	1	0	0	0	5	12	6405	6412
322	Bheja	8	2	2	1	1	0	1	0	0	0	0	1	13	20	6413	6420
311	Pachahi	8	2	2	0	1	1	1	0	1	0	0	0	21	28	6421	6428
327	Bhargama	7	2	2	1	0	1	0	1	0	0	0	0	29	35	6429	6435
332	Gadhgaon	7	1	2	1	1	0	1	0	1	0	0	0	36	42	6436	6442
313	Madhepur East	6	2	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	43	48	6443	6448
310	Sudar Birajit	6	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	49	54	6449	6454
317	Karhara	5	2	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	55	59	6455	6459
312	Manisam	5	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	60	64	6460	6464
326	Bakua	4	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	65	68	6465	6468
316	Bhith Bhagwanpur	4	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	69	72	6469	6472
320	Banki	3	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	73	75	6473	6475
309	Bath	3	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	76	78	6476	6478
315	Nawada	3	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	79	81	6479	6481
319	Prasad	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	82	84	6482	6484
323	Rahua Sangram	3	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	85	87	6485	6487
330	Darah	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	88	89	6488	6489
329	Mahpatiya	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	90	91	6490	6491

Note:- 1. UR-Unreserved, EBC Extremely Backward Class, SC-Scheduled Caste, BC Backward Class, ST-Scheduled Tribe, R-Female of Reserved Category, F-Female

Ann-3.

Annex 3

(16)

सेवा में,

पंचायत सचिव/ मुखिया
ग्राम पंचायत राज सुन्दरविराजित
प्रखण्ड मधेपुर, जिला मधुबनी।

मुखिया/अध्यक्ष
ग्राम पंचायत सुन्दर विराजित

विषय:- मेधा सुची में नाम शामिल करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं मीना कुमारी ग्राम, पोस्ट, पंचायत धमौरा, प्रखण्ड-बाबूबरही जिला मधुबनी का स्थाई निवासी हूं। तथा अमात जाति के अ०पि० वर्ग की महिला अभ्यर्थी हूं।

मैं वर्ष 2008 द्वितीय चरण पंचायत शिक्षक नियोजन हेतु श्रीमान् के ग्राम पंचायत राज, सुन्दरविराजीत में अपना आवेदन दी थी जिसकी प्राप्ति रसीदसंख्या पी॰ओ॰ 664/17/11/8 प्राप्त है।
(श्रीमान् के अवलोकनार्थ हेतु छाया प्रति संलग्न है)

नियोजन ईकाई के द्वारा दिनांक 30·12·08 को औपबंधिक मेधा सुची का प्रकाशन की गई है। जिसमें नियोजन ईकाई द्वारा मेरी नाम को मेधा सुची में शामिल नहीं की गई है। इसलिए श्रीमान् को यह आपतिदेने की जरूरत पड़ गई है।

अत: श्रीमान् से नम्र निवेदन है कि उक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर नियुक्ति नियमावली 2008 की कंडिका 9(viii) के तहत दी गई आपति का निराकरण कर मेरी नाम को मेधा सुची में शामिल करने का कृपा करेंगे।

इस अनुग्रह के लिए श्रीमान् का सदा आभारी रहूंगी।

विश्वासभाजन

मीना कुमारी
31.12.2008

अनुलग्नक:
प्राप्ति रसीद संख्या पी॰ए॰- 664
17·11·08

Ann-4

17

Annex-4

5 ... 28/3/09

ावा में,

सदस्य,
जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार, मधुबनी ।

बषय:- वर्ष 2008 द्वितीय चरण पंचायत शिक्षक नियोजन की औपबंधिक मेधा सूची में नाम शामिल करने के संबंध में ।

ाशय,

सेवा में सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं मीना कुमारी पति नर्भय कुमार राय पिता श्री जवाहर लाल राय, ग्राम-पो0-पंचायत-धमौरा, प्रखंड-ाबूवरही जिला मधुबनी का स्थायी निवासी हूँ तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग महिला ्यर्थी हूँ जिसका जाति प्रमाण पत्र श्रीमान् के अवलोकनार्थ संलग्न है।

यह कि वर्ष 2008 द्वितीय चरण पंचायत शिक्षक नियोजन हेतु ग्राम ायत राज-सुन्दर विराजित, प्रखंड-मधेपुर, जिला-मधुबनी में अपना आवेदन दी थी ासकी प्राप्ति रसीद सं0-पी 9-664/17/8/08 प्रारंभिक पंचायत शिक्षक नियोजन ी 2008 में दर्ज है। (प्राप्ति रसीद का छायाप्रति संलग्न है)

यह कि नियोजन इकाई, ग्राम पंचायत राज सुन्दर विराजित द्वारा पबंधिक मेधा सूची में मेरा नाम शामिल नहीं है। इस आशय की सूचना/आपति ियोजन इकाई को दिया गया है जो अद्यतन कारवाई अप्राप्त है।

यह कि बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवाशर्त) ि ... नियमावली 2008 की कंडिका-18 के अनुसार नियोजन से संबंधित प्रक्रिया ...ने का अधिकार प्राप्त है। इसलिए श्रीमान् को यह आवेदन देने की जरूरत प... गयी है।

अत: श्रीमान् से निवेदन है कि अपने स्तर से नियोजन इकाई को यह िर्देशित करें कि वे अंतिम मेधा सूची में मेरा नाम शामिल कर मेधा सूची का प्...ाशन हेतु नियोजन इकाई को आदेश निर्गत करने का कृपा करेंगे। इस अनुग्रह के लिए मैं श्रीमान् का सदा आभारी रहूँगी ।

विश्वास भाजन

मीना कुमारी
28/3/2009

अ...ग्नक- 2

1. प्राप्ति रसीद सं0-पी 9-664/17/8/08 की छायाप्रति- ।
2. जाति प्रमाण पत्र का छायाप्रति- ।

AH-5

18

सेवा में
जिला पदाधिकारी
सह
अध्यक्ष
बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् मधुबनी

विषयः– संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय,पटना के पत्रांक–5100260 दिनांक 13/02/2012 तथा कार्यक्रम पदाधिकारी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद,पटना के ज्ञापांक–821 दिनांक 09/02/2012 एवं अवर सचिव वि.प. सचिवालय,पटना के ज्ञापांक 1529(1) दिनांक 11/05/2012 के आलोक मे वर्ष 2008–10 द्वितीय चरण पंचायत शिक्षक के पद पर नियोजन करने के संबंध में

प्रसंगः–आपका पत्र संख्या 1613/जि0स्था0 दिनांक 19/11/2008

महोदय,

मैं मीना कुमारी पति निर्भय कुमार राय,पिता श्री जवाहर लाल राय, ग्राम+पो0:–धमौरा,थाना+भाया:–बाबूबरही, जिला मधुबनी के स्थायी निवासी हुं।

यह कि वर्ष 2008 द्वितीय चरण पंचायत शिक्षक नियोजन हेतु ग्राम पंचायत राज सुन्दर विराजित, प्रखंड मधेपुर जिला मधुबनी में अपना आवेदन दिया था, जिसकी प्राप्ति रसीद संख्या P_9-664 दिनांक 17/08/2008 प्रारंभिक शिक्षक नियोजन पंजी 2008 मे दर्ज है। परंतु नियोजन इकाई अपने निर्णय दिनांक 14/08/2010 के प्रस्ताव संख्या 2 एवं 2b एवं बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक(नियोजन एवं सेवा शर्त) नियंमावली 2008 की घोर उपेक्षा कर मनमानी ढंग एवं गलत तरीका से पंचायत शिक्षक के पद रिक्त रखने एवं नियोजन से वंचित किया है।

यह कि ग्राम पंचायत राज सुन्दर विराजित के प्रारंभिक पंचायत शिक्षक नियोजन पंजी 2008 के पृष्ठ संख्या 28 मे नियोजन इकाई के द्वारा निर्णय लिया गया कि अगर निर्धारित तिथि 13/08/2010 एवं 14/08/2010 को चयनित अभ्यर्थी नियोजन पत्र प्राप्ति करने हेतु उपस्थित नहीं होते है तो उनका नियोजन का दावा समाप्त करते हुए प्रतिक्षासूची से मेधा क्रम के अनुसार पंचायत शिक्षक का नियोजन कर लिया जाएगा। यह कि वर्तमान मे पंचायत शिक्षक के समान्य अतिपि0 वर्ग महिला अभ्यर्थी की पद खाली है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि नियोजन इकाई दिनांक 14/08/2010 के प्रस्ताव सं0 2b मे नियोजन इकाई द्वारा स्पष्ट किया गया है कि रोस्टर बिंदु 50 अ0पि0वर्ग महिला अभ्यर्थी के विरूद्ध कॉउसिलिंग मे शामिल एवं चयनीत महिला अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए अतएव यह पद रिक्त रह गया।

मैने इसके विरूद्ध जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार मधुबनी को भी आवेदन दिया पुनः निबन्धित डाक सं0 3606 दिनांक 14/10/2010 के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी मधेपुर को आवेदन दिया तथापि किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं किया गया इसीलिए श्रीमान के जनता दरबार मे यह आवेदन देने की जरूरत पड़ गई है। यदि श्रीमान के द्वारा नियुक्ति नियमावली कंडिका 18 के अनुसार निर्धारित 30 दिनों के समय सीमा मे इस आवेदन की आवश्यक कार्रवाई नहीं की जाएगी तो मै न्यायालय जाने मे सक्षम रहुंगा.

अतः श्री मान से नम्र निवेदन है कि वर्णित बिंदुओं को ध्यान मे रखकर श्रीमान अपने स्तर से आवेदिका को रिक्त पदो एवं बैक लॉग रिक्तियों के विरूद्ध मेधा सूची मे शामिल कर पुनः काउसिलिंग करा कर पंचायत शिक्षक के पद पर नियोजन करने का आदेश नियोजन इकाई को देने का कृपा करेंगे।

इस अनुग्रह के लिए श्रीमान का सदा अभारी रहुंगा

विश्वासभाजन
मीना कुमारी
मीना कुमारी

अनुलग्नक–05
1. संयुक्त सचिव के पत्रांक 5100260/13/02/2012
2.बी ई पी पटना पत्रांक 821/09/02/2012
3.अवर सचिव स. प. सचिवालय के पत्रांक 1529/11/05/2012

दिनांक–

विकास-5/1

(19)

अनु-5/1

निबंधन संख्या 280612/766

समाहरणालय, मधुबनी

जिला जनता दरबार

निबंधन संख्या- 1766

जाँच हेतु प्रेषित :- अपीलीय प्राधिकार मधुबनी

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर 28/6/12

Att. 6 [illegible]

(20)

[signature]

प्रारंभिक शिक्षक नियोजन पंजी – 2008

आज दिनांक 14/08/2010 को श्री गलेश कुमार यादव मुखिया की अध्यक्षता में पंचायत नियोजन समीति की बैठक पंचायत सुन्दर बिरजीत के परिसर में दिन के (11) ग्यारह बजे से हुई

उपस्थित :-

(1) श्री गलेश कुमार यादव – मुखिया – [signature]

(2) श्री निर्मलचन्द्र झा – प्रभारी शिक्षक – [signature]

(3) श्री अरुण कुमार पासवान – प्रभारी शिक्षक पं० समीति सदस्य – [signature] 14/08/2010

(4) श्री शिवन साहु – पंचायत सचिव – शिवन 14/8/2010

(5) श्री मती सीता देवी – वार्ड सदस्य – सीता देवी

प्रस्ताव सं० 01 सर्वसम्मति से गत बैठक की कार्यवाहियों की सम्पुष्टि की गई।

प्रस्ताव सं० -02 सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दिनांक के कौंउसिलिंग में उपस्थित अभ्यर्थीयों के अंक के आधार पर निम्नलिखित रूप से पंचायत शिक्षक का नियोजन किया गया।

(A) (i) रोस्टर बिन्दु 49 (अनारक्षित महिला) के विरुद्ध उच्चतम मेधा अंकधारी किरण कुमारी पिता श्री जग नारायण यादव (ii) रोस्टर बिन्दु 52 (अनारक्षित महिला) के विरुद्ध सुशीला कुमारी पिता श्री जग नारायण यादव (iii) रोस्टर बिन्दु 53 (अनारक्षित महिला) के विरुद्ध रंजना कुमारी पिता श्री शिवनन्दन गोप का नियोजन पंचायत शिक्षक पद पर किया गया एवं रोस्टर बिन्दु [illegible] अंगविकलांग के लिए [illegible] अभ्यर्थी श्रवण कोपिल पिता चन्द्रमोहन, चौधरी पिता सीताराम चौधरी का नियोजन [illegible]

(B) रोस्टर बिन्दु 50 (अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला) एवं रोस्टर बिन्दु 51 (अनारक्षित) पद के विरुद्ध कौंउसिलिंग में आवेदन एवं योग्य अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए अतएव दो

प्रारंभिक शिक्षक नियोजन पंजी – 2008

(21)

पद रिक्त रह गया। रोस्टर बिन्दु 54 (अति पिछड़ा) जो निर्णय ... चौधरी का नियोजन के लिए अमान्य है के लिए उच्चतम अंक चन्द्रमोहन ... किया गया।

उपस्थित एवं नियोजित अभ्यर्थी को पंचायत सचिव द्वारा पंचायत शिक्षक पद पर नियोजन-पत्र निर्गत प्राथमिक विद्यालयों के लिए हस्तगत कराया गया।

प्रस्ताव सं0-03 सभी चार (04) नियोजित पंचायत शिक्षक (10) दस दिनों के अन्दर संबंधित विद्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा उनका नियोजन स्वतः समाप्त माना जायगा।

धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात आज की बैठक की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

14/08/10
मुखिया
ग्रा0 पं0 सुन्दर विराजित

सचिव
पंचायत
14/8/10

पं0 सचिव

I.C

प्रारंभिक शिक्षक नियोजन पंजी–2008

आज दिनांक 14/08/2010 को श्री गणेश कुमार यादव मुखिया की अध्यक्षता में पंचायत नियोजन समिति की बैठक पंचायत राज सुन्दर विराजीत के परिसर में दिन के 11 ग्यारह बजे में हूई।

उपस्थितः–

1. श्री गणेश कुमार यादव– मुखिया
2. श्री निर्मल चन्द्र झा–प्रभारी शिक्षक
3. श्री अरूण कुमार पासवान–प्रभारी शिक्षक, पं0 समिति सदस्य
4. श्री शिवन साहु– पंचायत सचिव
5. श्रीमति सीता देवी–वार्ड सदस्या

प्रस्ताव सं0–01– सर्वसम्मति से गत बैठक की कार्यवाहियों की सम्पुष्टि की गई।

प्रस्ताव सं0–02– सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि0 दि0 28/02/2010 के काउंसिलिंग में उपस्थित अभ्यर्थियों के अंक के आधार पर निम्नलिखित रूप से पंचायत शिक्षक का नियोजन किया गया।

(A). (i). **रोस्टर बिन्दु 49 अनारक्षित महिला के विरूद्ध उच्चतम मेधा अंकधारी किरण कुमारी पिता श्री जगनारायण यादव 2. रोस्टर बिन्दु पिछडा महिला के विरूद्ध सुशीला कुमारी पिता श्री जगनारायण यादव 3. रोस्टर बिन्दु अनारक्षित महिला के विरूद्ध रंजना कुमारी पिता श्री शिवचरण गोप का नियोजन पंचायत शिक्षक पद पर किया गया एवं रोस्टर बिन्दु अं0**

पि0 वर्ग के लिए अनुमान्य है के लिए .... एवं श्रवण बाधित चन्द्र मोहन चौधरी पिता सीतानाथ चौधरी का नियोजन किया गया।

(B). रोस्टर बिन्दु 50 अत्यन्त पिछडा वर्ग महिला एवं रोस्टर बिन्दु 51 अनारक्षित पद के विरूद्व काउंसिलिंग में शामिल एवं चयनित अभ्यर्थी उपस्थित नही हुए अतएव दोनो पद रिक्त रह गया। रोस्टरी विन्दु 54 अं0 पिं0 वर्ग जो निव0 बाधित के लिए अनुमान्य है के लिए उच्चतम अंक चन्द्रमोहन चौधरी का नियोजन किया गया।

उपस्थित एवं नियोजित अभ्यर्थीयों को पंचायत सचित द्वारा पंचायत शिक्ष्ज्ञक पद पर विभिन्न प्राथमिक विधालयों के लिए नियोजन पत्र हस्तगत कराया गया।

प्रस्ताव सं0–03– सभी चार 04 नियोजित पंचायत शिक्षक 10 दस दिनों के अन्दर संबंधित विधालय में योगदान देना सुनिश्चित करेंगें अन्यथा उनका नियोजन स्वतः समाप्त माना जाएगा।

धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात आज की बैठक की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

मुखिया

ग्राम पं0 सुन्दर विराजीत

Annx-7: (22)

प्रमाण-पत्र संख्या 498

दिनांक 26/3/07

प्रखण्ड कार्यालय बाबूबरही

जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मीना कुमारी

पिता/पति श्री जवाहर लाल राय ग्राम/मुहल्ला भोगलाहा

पोस्ट मिश्रौलिया पंचायत/वार्ड नं० धमौरा थाना बाबूबरही

जिला मधुबनी बिहार के निवासी है। ये अमात जाति

के ~~अनुसूचित जाति/अनु० जनजाति/पिछड़े वर्ग/~~अत्यन्त पिछड़े वर्ग के सदस्य हैं।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी

का हस्ताक्षर एवं मुहर

(23)

अनुसूची - 14 फॉर्म सं0 563

GOVT OF BIHAR — COURT FEE — 00000010 — 17 7 2013 — Zero Zero Zero Zero Zero One Zero

आदेश का क्रम संख्या और तारीख (1)	आदेश (2)	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ
21-12-2012	आदेश रा.द. वाद सं० - 936/08/12 मीना कुमारी बनाम - पंचायत सचिव, सुन्दरबिरजीत ग्राम पंचायत (मधेपुर प्रखंड), जिला जनशिकायत कोषांग, मधुबनी के पत्रांक - 1821/जि० शि० को० दिनांक - 03 अगस्त 2012 से प्राप्त आवेदिका, मीना कुमारी पति - विजय कुमार, पिता - जवाहर राय, ग्राम + पो० - रुचौल भाया बाबूबरही (जिला मधुबनी) के आवेदन पर प्रारम्भ किया गया और जिसे राज वाद 2008 पंचायत शिक्षक नियोजन से संबंधित है। उक्त आवेदनानुसार इन्होंने मधेपुर प्रखंड स्थित [illegible] ग्राम पंचायत [illegible] नियोजन 2008 के लिए आवेदन दिया था जिसकी प्राप्ति रसीद सं० P9-664 दिनांक - 17-8-2008 [illegible] गया है कि [illegible] नियोजन नियमावली 2008 के प्रावधान की उपेक्षा करते हुए मनमानी ढंग से पंचायत में पद रिक्त रहने के बावजूद नियोजन से वंचित रखा गया। अपने उनकी आवेदन में [illegible] पंचायत	

(24)

अनुसूची - 14 फॉरम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ
1	2	3
	निर्वाचन नहीं की कार्यवाही दिनांक 14-8-2011 को ग्राम पंचायत के आधार पर उठाया गया कि उक्त पंचायत में अ० पि० वर्ग (महिला) का पद रिक्त था जिसके विरुद्ध उनका आवेदन दिया गया था लेकिन उक्त पद रिक्त रखा गया लेकिन उन्हें निर्वाचन से वंचित रखा गया जो संविधान निर्वाचन के प्रावधान के विरुद्ध है। इसलिए उक्त वार्ड [illegible] वादी पुस्तिका की [illegible] दिनांक - 14-8-12 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि पंचायत में दो पद, एक अनारक्षित एवं अ० पि० वर्ग महिला का पद रिक्त रह गया। आवेदिका के उक्त आवेदन के विरुद्ध पंचायत सचिव, मुखिया [illegible] को प्रतिवादी के ज्ञापांक -375 दिनांक - 20-7-12 के द्वारा प्रतिवेदन [illegible] हेतु प्रत्युत्तर दाखिल करने हेतु सूचना दी गई। लेकिन निर्धारित तिथि पर वे न तो उपस्थित हुए और न कोई प्रत्युत्तर दाखिल किये। तत्पश्चात पंचायत सचिव को उनके निर्वाचन पदाधिकारी [illegible] किया	

अनुसूची - 14 फॉरम सं0 563

GOVT. OF BIHAR
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT.
MADHUBANI

बिहार JUDICIAL

25

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ
1	2	3
	पदाधिकारी, मधेपुर के माध्यम प्रतिवेदन के पत्रांक - 464 दिनांक 24-8-12 के पत्रोत्तर प्राप्त के समाहित होता गया। फिर भी निर्णय पूर्ववत रहा। तत्पश्चात प्रतिवेदन के पत्रांक - 504 दिनांक 12-9-2012 के माध्यम पंचायत सचिव के विरुद्ध मानव संसाधन विभाग बिहार, पटना की अधिसूचना सं0 - 3716 दिनांक - 23-10-08 की कंडिका 8 X के प्रावधान के तहत कार्रवाई करने उक्त प्रतिवेदन में प्रस्तुत एवं निर्णय कागजात प्रस्तुत करने हेतु उन्हें [illegible] के लिये जिला पदाधिकारी, मधुबनी को पत्र लिखा गया। फिर भी अंतिम चार निर्धारित तिथि गुजर जाने पर भी न तो पंचायत सचिव उपस्थित होकर कोई कागजात प्रस्तुत किया और न जिला पदाधिकारी मधुबनी प्र0 वि0 पदा0, मधेपुर से कोई कार्रवाई करने की कोई सूचना ही प्राप्त हुई। तत्पश्चात वाद की पूरी पत्रावली देखने के बाद उक्त आवेदन को उनके अधिकार के माध्यम से [illegible]	

(26)

अनुसूची – 14 फॉरम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ
	तथा प्रस्तुत नियोजन पत्र की मामले में अवलोकन किया गया जिसमें अभिलेख तथा प्रकाश में आता है : आवेदिका की ओर से दाखिल प्रमाण (कोड नं० [illegible]) से स्पष्ट होता है कि आवेदिका नियोजन आवेदन किया गया था जिसकी प्राप्ति कोड ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ है Pa-664 / 17-11 है। इनके दाखिल इण्टर के अंक पत्र में कुल प्राप्तांक - 431 अंक अंकित है जो लगभग 47.7 प्रतिशत होता है जाति प्रमाण पत्र से भी आवेदिका अनुसूचित जाति की प्रमाण - 72 दि० 13-01-12 को [illegible] इससे विदित होता है कि - आवेदिका अनुसूचित जाति की है। दाखिल पंचायत कार्यवाही पंजिका दिनांक 14-8-08 से स्पष्ट होता है कि पंचायत में दो पद (एक अनारक्षित/सामान्य एवं दूसरा - अनु० जा० कोटि) का पद रिक्त रह गया क्योंकि पंचायत स्तर में उस नियोजन हेतु कोई अभ्यर्थी उप-स्थित [illegible] उपस्थित नहीं	

अनुसूची - 14 फॉरम सं0 563

GOVT OF BIHAR
REGISTRATION, EXCISE & PROHIBITION DEPT
भारत
STAMP DUTY
बिहार
BIHAR

आदेश का क्रम संख्या और तारीख (1)	आदेश और पदाधिकारी हस्ताक्षर (2)	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ (3)
	नहीं हुआ था। ऐसी स्थिति में उनका कथन है कि यदि चयनित अभ्यर्थी काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हुए तो प्रतीक्षा सूची से नियोजन करने का प्रावधान है जो नहीं कर नियोजन इकाई द्वारा पद रिक्त छोड़ दिया गया। नियोजन इकाई का यह कृत्य विभागीय अधिकारी आदेश जिसके द्वारा नियोजन करने का निर्देश था तथा संगत नियोजन नियमावली 2008 के प्रावधान का उल्लंघन है। इस सम्बन्ध में आवेदिका द्वारा दाखिल आवेदन में कहा गया है कि चूंकि अ0 पि0 वर्ग महिला का पद रिक्त है अतः इनका नाम मेधा सूची में शामिल कर पुनः इनका काउंसलिंग करते हुए इनका नियोजन करने हेतु पंचायत नियोजन इकाई को आदेश दिया जाय। उनके उक्त कथन से स्पष्ट होता है कि आवेदिका का नाम मेधा सूची में शामिल नहीं किया गया था जिस कारण काउंसलिंग भी नहीं हो सका। पंचायत शिक्षक नियोजन नियमावली 2006 एवं संशोधित 2008 से	

आदेश या कार्यवाही की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख के साथ
1	2	3
	नियम में प्रावधान है कि यदि मेधा सूची में किसी व्यक्ति का नाम शामिल नहीं किया गया है तो मेधासूची के प्रकाशन की तारीख से ... के अन्दर उन्हें आपत्ति दाखिल करनी चाहिये। लेकिन आवेदिका की ओर से नियोजन इकाई को मेधासूची प्रकाशन के बाद ऐसी आपत्ति-आवेदन देने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। पंचायत नियोजन इकाई भी लागू हो चुकी है। अतः कोई दावा नहीं बनता है जिस कारण यह आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। जहाँ तक पंचायत सचिव के द्वारा मानदेय इत्यादि नहीं करने का प्रश्न है - उन्हें कई बार सूचना दी गई, उन्हें वरीय पदाधिकारी एवं नियुक्ति पदाधिकारी को भी इस संबंध में लिखा गया फिर भी किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसी स्थिति में विभागीय संकल्प-सं. 3716 दि 23-10-08 के नियम-... के तहत पंचायत सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई आवश्यक है। अतः जिला पदाधिकारी एवं नियुक्ति पदाधिकारी इस संबंध में	

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
१	२	३
	[illegible] पंचायत सचिव के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। इस आदेश की प्रतिलिपि पंचायत सचिव, सुन्दर विराजित ग्राम पंचायत राज- मधेपुर, प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुर एवं जिला पदाधिकारी, मधुबनी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें। Attested. PO Admin 12/3/13 **सचिव** जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार कार्यालय मधुबनी	ह०/- अध्यक्ष शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार, मधुबनी

GOVT OF BIHAR
REGISTRATION EXCISE & PROHIBITION DEPT
COURT FEE
JUDICIAL
BIHAR

आदेश

21.12.2012. यह वाद सं0 936/08/12 मीना कुमारी बनाम पंचायत सचिव सुन्दर विराजीत ग्राम पंचायत मधेपुर प्रखंड जिला जन शिकायत कोषांग मधुबनी के पत्रांक 1821/जि0 शि0 को0 दिनांक 03 जुलाई 2012 से प्राप्त आवेदिका मीना कुमारी पति निर्भय कुमार पिता जवाहर राय, ग्राम पो0 धमौरा भाया बाबूबरही जिला मधुबनी के आवेदन पर प्रारंभ किया गया जो द्वितीय चरण वर्ष 2008 पंचायत शिक्षक नियोजन से संबंधित है। उक्त आदेशानुसार इन्होने मधेपुर प्रखंड स्थित सुन्दर विराजीत ग्राम पंचायत में द्वितीय चरण शिक्षक नियोजन 2008 में लिए आवेदन दिया था। जिसकी प्राप्ति स्लीप सं0 Pq 664 दिनांक 17/8/2008 है और उनके द्वारा कहा गया है कि इनका नियोजन नियमावली 2008 के प्रावधान की उपेक्षा करते हुए मनमानी ढंग से पंचायत में पद पर ..... सब कर इन्हें नियोजन से बंचित रखा गया। अपने अपने आवेदन में साथ संलग्न पंचायत नियोजन पंजी की कार्यवाही दिनांक 14.8.2010 की छाया प्रति संलग्न के आधार पर इनका कहना है कि उक्त पंचायत में अ0 पि0 वर्ग महिला का पद रिक्त था जिसके विरूद्ध इनका आवेदन दिया गया था लेकिन उन्हें नियोजन से वंचित रखा गया जो संगत नियमावली के प्रावधान के विरूद्ध है। उक्त कार्य वादी पुस्तिका के बैठक दिनांक 14.8.2012 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि

पंचायत में दो पद एक अनारक्षित एवं अ0 पि0 वर्ग महिला का पद रिक्त रह गया।

आवेदिका ने उक्त आवेदन के विरूद्ध पंयाचत सचिम सुन्दर विराजीत को प्राधिकार के ज्ञापांक 395 दिनांक 20.7.2012 के द्वारा पंजीकृत डाक से प्रत्युतर दाखिल करने हेतु सूचना दी गई। लेकिन निर्धारित तिथि पर वे न तो उपस्थित हुए और न ही कोई प्रत्युत्र दाखिल किये। तत्पश्चात पंचायत सचिव को उनके नियंत्री पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी मधेपुर के माध्यम प्राधिकार के पत्रांक 464 दिनांक 24.8.2012 से पंजीकृत डाक से स्मारित किया गया। फिर भी स्थिति पूर्ववत रही। तत्पश्चात प्राधिकार के पत्रांक 504 दिनांक 12.9.2012 के माध्यम पंचायत सचिव के विरूद्व मानव संसाधन विभाग बिहार पटना की अधिसूचना सं0 3716 दिनांक 23.10.2008 की कंडिका सं0 X के प्रावधान के तहत कारवाई करते हुए प्राधिकार में प्रत्युतर एंव नियोजन कागजात प्रस्तुत करने हेतु उन्हे सूचित करने के लिए जिला पदाधिकारी मधुबनी को पत्र लिखा गया। फिर भी अग्रिम चार निर्धारित तिथि गुजर जाने पर भी न तो पंचायत सचिव उपस्थित होकर कोई कागजात प्रस्तुत किया और न जिला पदाधिकारी मधुबनी एवं प्र0 विकास पदाधिकारी मधेपुर से कोई कारवाई करने की कोई सूचना ही प्राप्त हुई।

तत्पश्चात वाद की एक पक्षीय सुनवाई करते हुए आवेदक को उनके अधिकार के माध्यम सुना गया है तथा प्रस्तुत लिखित वाए एवं कागजात का अवलोकन किया गया जिससे अधोलिखित तथ्य प्रकाश में आता है।

आवेदिका की ओर से दाखिल प्राप्ति रसीद की छाया प्रति से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा नियोजन आवेदन दिया गया था जिसकी प्राप्ति रसीद सं Pq 664 दिनांक 17/8/2008 है इनसे दाखिल इन्टर के अंकपत्र में कुल प्राप्तांक 431

अंक अंकित है जो लगभग 47.7 प्रतिशत होता है। जाति प्रमाण पत्र जो अनुमंडल पदा0 मधुबनी के पत्रांक 72 दि0 13.01.2012 की छायाप्रति से विदित होता है कि आवेदिका अ0 पि0 की उम्मीदवार है दाखिल पंचायत कार्यवाही पुस्तिका बैठक दि0 14.8.2008 से स्पष्ट होता है कि पंचायत में दो पद एक अनारक्षित सामान्य एवं दूसरा अ0 पि0 वर्ग का पद रिक्त रह गया क्योंकि चयनित अभ्यर्थी में से उक्त नियोजन हेतु कोई अभ्यर्थी काउन्सिलिंग में उपस्थित नही हुआ था।

ऐसी स्थिति में इनका कथन है कि यदि चयनित सूची के अभ्यर्थी काउन्सिलिंग में उपस्थित नही हुए तो प्रतीक्षा सूची से नियोजन करने का प्रावधान है जो नही कर नियोजन ईकाई द्वारा पद रिक्त छोड दिया गया। नियोजन ईकाई का यह कृत्य विभागीय कार्यपालक आदेश जिसके द्वारा नियोजन करने का निर्देश था तथा संगत नियोजन नियमावली 2008 के प्रावधान का उल्लंधन है।

इस संबंध में आवेदिका द्वारा दाखिल आवेदन में कहा गया है कि चूँकि अ0 पि0 वर्ग महिला का पद रिक्त है अतः इनका नाम मेधा सूची में शामिल कर पुनः इनका नियोजन करने हेतु पंचायत नियोजन ईकाई को आदेश दिया जाए। उनके उक्त कथन से स्पष्ट होता है कि आवेदिका का नाम मेधा सूची में शामिल नही किया गया था जिस कारण .... नही हो सका। पंचायत शिक्षक नियोजन नियमावली 2006 एवं संशोधित 2008 के नियम में प्रावधान है कि यदि मेंधा सूची में नियमानुकुल अभ्यर्थी का नाम शामिल नही किया गया है। तो मेधा सूची के प्रकाशन के साात दिनो के अन्दर उन्हें आपति दाखिल होना चाहिए। लेकिन आवेदिका की ओर से नियोजन ईकाई को मेंधा सूची प्रकाशन के बाद ऐसी आपति आवेदन देने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। पंचायत

नियोजन प्रकिया भी समाप्त हो चुकी है। अतः इनका दावा नही बनता है जिस कारण इनका आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

जहाँ तक पंचायत सचिव के द्वारा कागजात प्रस्तुत करने का प्रश्न हे उन्हें कई बार सूचना दी गई इनके वरीय .... एंव नियुक्ति पदाधिकारी को भी इस संबंध में लिखा गया फिर भी किसी स्तर से कोई कारवाई नही की गई। ऐसी स्थिति में विभागीय संबंन्ध सं0 3716 दि0 23.10.2008 के नियम ख (X) के तहत पंचायत सचिव के विरूद्व प्रशासनिक कारवाई आवश्यक है। उनके नियुक्ति एवं नियुक्ति पदाधिकारी इस संबंध में संगत प्रावधान के अन्तर्गत संबंधित पंचायत सचिव के विरूद्व समुचित कारवाई करना सुनिश्चित करेंगें।

इस आदेश की प्रतिलिपि पंचायत सचिव सुन्दर विराजित ग्राम पंचायत प्रखंड मधेपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी मधेपुर एंव जिला पदाधिकारी मधुबनी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी को सूचनार्थ एंव आवश्कय कार्यवाही भेजें।

हस्ताक्षर